कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22( )लेखा / ई.पेंशन / प्रमुवसं / 2023–24 / दिनांक :

समस्त वनाधिकारीगण

....

विषय :– आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृति दिवस को ही समस्त पेशंन परिलाभों की स्वीकृति उपलबध करवाने, सिस्टम पर ही कार्यमुक्त करने एवं कम्यूटेशन प्रार्थना का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः– निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्रांक प 5 (328) / निपेवि / नियम / ई–मॉडयूल / 2023 / 3218–33एच दिनांक 28.08.2023 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2023 के कम में लेख है कि वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के बिन्दु सं. 1(XIII) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृति दिवस पर कार्यालय समय समाप्ति के उपरांत कार्मिक को सिस्टम पर रिलीव किया जायेगा। इस हेतु आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर सुविधा विकसित की जा चुकी हैं। अतः अधिनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु के अनुसार सेवानिवृति दिवस पर कार्मिक को सिस्टम पर कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्मिक को सिस्टम पर कार्यमुक्त नही किया जाता है तो स्वतः ही रिलीविंग जारी हो कर भुगतान प्रकिया शुरू हो जायेगी।

साथ ही उक्त परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के बिन्दु सं. 1(VI) के अनुसार ई–पेंशन सैट पेंशन विभाग को अग्रेषित करने के बाद अथवा पीपीओ / जीपीओ / सीपीओ अधिकृतियां जारी होने के बाद कार्मिक के सेवानिवृति दिनांक तक कार्मिक के विरूद्व विभागीय जांच / न्यायिक कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ होने पर अथवा कार्मिक की मृत्यु होने पर इसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सिस्टम से ऑनलाईन पेंशन विभाग / पेंशन भुगतान अधिकारी को तुरंत दी जावें तथा सिस्टम पर उपलब्ध स्टॉप पेमेन्ट **(Stop payment)** किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि यह सूचना नही दी जाती है, तो पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के सेवानिवृति परिलाभो का भुगतान यह मानते हुए स्वतः ही कर दिया जायेगा कि ऐसी कार्यवाही लंबित नही हैं / कार्मिक जीवित हैं (जैसी भी स्थिति हो) सिस्टम पर समय पर सूचना नही देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार

भवदीया

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 22( )लेखा / ई.पेंशन / प्रमुवसं / 2023–24 / 6009–41 दिनांक : 27.10.23

प्रतिलिपिः– निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ।
3. समस्त अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौघोगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय [illegible] हेतु।
5. मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) मुख्यालय राजस्थान जयपुर को भिजवाकर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पालना हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
6. नोडल अधिकारी (आई.एफ.एम.एस. 3.0) प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
4971641

Signature valid
Digitally signed by Nidhi Mehta
Designation : Financial Advisor
Date: 2023.10.27 1[illegible]:48:39 IST
Reason: Approved

IA DCF(IT) 3/11/2023

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प.5(326)निपेवि / नियम / ई–मॉड्यूल / 2023 दिनांक

1. निदेशक,
   माध्यमिक / प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
   संस्कृत शिक्षा विभाग / कृषि विभाग / पशु पालन विभाग /
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
   आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

2. मुख्य अभियंता,
   इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
   जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग /
   सार्वजनिक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।

3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राज. जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर।
7. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।

विषय :- IFMS 3.0 में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को सिस्टम पर कार्यमुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस विभाग का पूर्व पत्रांक 3035 दिनांक 28.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के बिन्दु संख्या 1(xiii) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृति दिवस पर कार्यालय समय समाप्ति के उपरान्त कार्मिक को सिस्टम पर रिलीव किया जायेगा। इस हेतु IFMS 3.0 पर सुविधा विकसित की जा चुकी है। अतः आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित कराने का श्रम करें कि उक्त बिन्दु के अनुसार सेवानिवृति दिवस पर कार्मिक को सिस्टम पर रिलीव कराना सुनिश्चित करावें। यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्मिक को सिस्टम पर रिलीव नहीं किया जाता है तो स्वतः ही रिलीविंग जारी होकर भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

साथ ही उक्त परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के बिन्दु संख्या 1(vi) के अनुसार ई–पेंशन सेट पेंशन विभाग को अग्रेषित करने के बाद अथवा पीपीओ / जीपीओ / सीपीओ अधिकृतियां जारी होने के बाद कार्मिक के सेवानिवृति दिनांक तक कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच / न्यायिक कार्यवाही नियमानुसार प्रारंभ होने पर अथवा कार्मिक की मृत्यु होने पर इसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सिस्टम से ऑनलाईन पेंशन विभाग / पेंशन भुगतान अधिकारी को तुरन्त दी जावें तथा सिस्टम पर उपलब्ध Stop Payments किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि यह सूचना नहीं दी जाती है तो पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के सेवानिवृति परिलाभों का यह भुगतान मानते हुए स्वतः ही कर दिया जाएगा कि ऐसी कार्यवाही लम्बित नहीं है / कार्मिक जीवित है (जैसी भी स्थिति हो) सिस्टम पर समय पर सूचना नहीं देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिन प्रकरणों में कार्यालयाध्यक्ष की लापरवाही / उदासीनता के कारण गलत / अधिक भुगतान हो गया है उनसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी अपेक्षित है। दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2023 के निर्देशानुसार प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को अविलम्ब निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

Sd/-

(डा० देवराज)

निदेशक

क्रमांक : प.5(328)निपेवि / नियम / ई-मॉड्यूल / 2023 / 3218 - 33 - H

दिनांक 28/8/23

1349
10/10/23

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा / प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
2. वित्तीय सलाहकार, संस्कृत शिक्षा विभाग / कृषि विभाग / पशु पालन विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. वित्तीय सलाहकार, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।
5. वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राज. जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राज. जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।

वरिष्ठ निदेशक

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.) 302005
Phone 0141-2741684, 2740694, Fax: 0141-2740678, Website - www.rajpension.nic.in, Email:-dir-pen-rj@nic.in